

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक—/ 1320 / FP/UK/MIN/20690/ 2016 :देहरादून:दिनांक: ०५ नवम्बर, 2016

सेवा में,

श्री सदीप शर्मा
सहायक वन अड्डनिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण,
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
पी.सी. डिवीजन, पर्यावरण मंवन,
सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधीरोड, नई दिल्ली।

विषय:- जनपद—नैनीताल एवं उधमसिंह के अन्तर्गत बहने वाली नद्यौर एवं कैलाश नदी से 468.00 हेठो वन भूमि में उप खनिज चुगान हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम को 10 वर्षों की अवधि के लिये अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ—भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली की पत्र संख्या 8-34/2006-एफ.सी.दिनांक 29-09-2016.

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिरारो भारत सरकार द्वारा प्रश्नागत प्रकरण में कठिपय बिन्दुओं की सूचनाये उपलब्ध कराने के निर्देष दिये गये हैं। प्रभागीय वनाधिकारी, अंठ-पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी के पत्रांक 1447 / 12-1 दिनांक 03-11-2016 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा वांछित बिन्दुओं की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है जो निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है :-

1— भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के उक्त सन्दर्भित पत्र के बिन्दु संख्या-1 के अनुपालन में सम्बन्धित जिलाधिकारियों से प्राप्त FRA से सम्बन्धित प्रमाण—पत्रों की प्रति संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-1)

2— बिन्दु संख्या-2 के अनुपालन में जनपद—नैनीताल एवं उधमसिंह के अन्तर्गत बहने वाली नद्यौर एवं कैलाश नदी से उप खनिज चुगान के एवज में विभिन्न वर्षों किये गये क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-2)

3— बिन्दु संख्या-3 के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि नद्यौर एवं कैलाश नदी से उप खनिज चुगान से ₹ 0 21025.62 लाख मात्र के राजरव की प्राप्ति हुई है। प्राप्त राजरव के सम्बन्ध में प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन नद्यौर), उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा विवरण प्रति उपलब्ध करायी गई है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-3) उपरोक्त के अतिरिक्त प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि नद्यौर एवं कैलाश नदी में रिवर ट्रेनिंग कार्यों पर ₹ 0 1805.00 लाख की धनराशि व्यय है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

मवदीय,

(विनोद कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या—/ FP/UK/MIN/20690/ 2016 दिनांकेत।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1—प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

2—प्रभागीय वन विकास, प्रबन्धक, नद्यौर खनन, उत्तराखण्ड वन विकास निगम। हल्द्वानी।

(विनोद कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

Ram - 1

FORM-II
(For projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Nainital

No - 876

Dated - 13.10.16

To WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 378 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Uttarakhand Forest Development Corporation (name of user agency) for Extraction of RBM from Nandhaur/Kailash river (purpose for diversion of forest land) in Nainital District falls within jurisdiction of Lakhmandi, Aamkheda, Khanwalkatan, and Nayagaonkatan villages in Haldwani Tehsils.

It is further certified that:

- (a) The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 378 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consolations and meetings of the Forest Rights Committees, Gram Sabahs Sub-Division level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure XI.
- (b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabah of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The each of concerned Gram Sabahs has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabah of Lakhmandi, Aamkheda, Khanwalkatan and Nayagaonkatan village is enclosed as annexure IV to annexure XI.
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabah present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabah's have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA.

Encl: As above.

Signature

(Deepak Rawat)

District Collector Nainital

FORM-II
(For projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Udhamsingh Nagar

No -

Dated - 24.10.16

To WHOSOEVER IT MAY CONCERN


In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 90 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Uttarakhand Forest Development Corporation (name of user agency) for Extraction of RBM from Nandhaur/Kailash river (purpose for diversion of forest land) in Udhamsingh Nagar District falls within jurisdiction of Ukroli, Sadhunagar and Kalyanpur villages in Sitarganj Tehsils.

It is further certified that:

- (a) The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 90 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consolations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabah, Sub-Division Level Committee and the District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure IX.
- (b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabah of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The each of concerned Gram Sabah (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabah of Ukroli, Sadhunagar and Kalyanpur village is enclosed as annexure IV to annexure IX.
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabah present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabah's have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA.

Encl: As above.

Signature



24.10.16

(CHANDRESH KUMAR)
District Collector Udhamsingh Nagar

जिला अधिकारी
उद्धम सिंह नगर

प्रारूप-30.1
OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Nainital (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital District constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr./Mrs./Miss. Deepak Rawat I.A.S deputy commissioner, ... on dated 21.1.16... at timeat in which application claiming rights in Nandhau/Kailash Area measuring 378 Hect. for the construction of Extraction of RBM forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Haldwani sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Nainital.

Dated: 21.1.16

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

जिला अधिकारी
नैनीताल


प्रारूप-30.1
OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Udhamsingh Nagar (U.K.)


Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Udhamsingh Nagar District constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr./Mrs./Miss. A. K. Gupta I.A.S deputy commissioner, U. S. Nagar on dated 6.1.16 at timeat in which application claiming rights in Nandhau/Kailash Area measuring 90 Hect. for the construction of Extraction of RBM forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Sitarganj sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Udhamsingh Nagar
Dated: 6.1.16


Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee


उद्धम सिंह नगर (संचयन)

प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम :-

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ~~तहसील~~
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रभाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, ~~तहसील~~

उपखण्ड ~~तहसील~~ परिषेत्र के अन्तर्गत ————— हेठले आरक्षित
वन भूमि, — हेठले सिविल एवं सोयम वन भूमि हेठले वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल ————— हेठले वन भूमि) का
प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य
परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील
~~तहसील~~) की दिनांक ~~10/12/15~~ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ~~पंचायती~~, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | |
|----|--|------------|---------------------|
| 1- | श्री पंचायती उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष | <i>Panchayat</i> |
| 2- | श्री पंचायती उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य | पंकज चंद्रठा |
| 3- | श्री पंचायती संचायक समाज कल्याण अधिकारी | संचाय/सचिव | सदस्य हैं पंचायत |
| 4- | श्री पंचायती ब०डी०सी० क्षेत्र तहसील मंडी | सदस्य | ०१ - लक्ष्मी मण्डी। |

उपखण्ड संचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

परियोजना	हेतु ३७४ हेठले	वन	भूमि
----------	----------------	----	------

एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ~~तहसील~~:- द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बद्ध नियम 2008 के प्राविधिक रूप से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड परिषेत्र के अन्तर्गत	परियोजना के निमाण हेतु ३७४ हेठले वन भूमि प्रयोक्ता
--	--

एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारों से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—
जनपद

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ~~तहसील~~ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील—
जनपद

कार्यवाही का लिखित सम्मान
दस्तावेज द०१० द०१० द०१०

परियोजना का नाम :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रभाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम —लक्ष्मीनगड़ा
तहसील —लक्ष्मीनगड़ा, जिला —मुरादाबाद

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत कलाल नदी परियोजना के निर्माण हेतु (अमृत है) आरक्षित वन भूमि है। सिविल सौम्यम भूमि है, वन पंचायत भूमि है) अर्थात् कुलभूमि है वन भूमि का उत्तराखण्ड १०११२। —— विभाग / संस्था के पास में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत (लर्नर) द्वारा दिनांक 2005 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि न अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

बच्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसमति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम [ग्रामनाम] के ग्रामवासियों को उक्त बन भूमि इन्हें देना प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



- 100 -

सप्तस्य सेव पंचायत

०१ - स्नायुन महिला

नोट :- यदि किसी भूमि प्रभावित हो रही है, तो उसका विवरण उसी पत्र में हिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

१०४ | १३ | अन्यायिक विभाग

ग्रन्थप्रबन्धा।

अभावित हो रही हैं तो

पृष्ठा-23.1

दिनांक १५ जून को प्रग सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

याम विद्यारत ... अमरात्री

क्रमांक	आम दूसरी से उपस्थित गरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	उत्तमदार
1	लक्ष्मी	लक्ष्मी
2	मुकेश	मुकेश
3	मनोज	मनोज
4	मनोज	मनोज
5	मनोज	मनोज
6	मनोज	मनोज
7	मनोज	मनोज
8	मनोज	मनोज
9	मनोज	मनोज
10	मनोज	मनोज
11	मनोज	मनोज
12	मनोज	मनोज
13	मनोज	मनोज
14	मनोज	मनोज
15	मनोज	मनोज
16	मनोज	मनोज
17	मनोज	मनोज
18	मनोज	मनोज
19	मनोज	मनोज
20	मनोज	मनोज

५० रुपये
आम अधिकारी
उत्तर प्रदेश
प्रधान
शाम गवर्नर एवं विधायक
दिन २० जुलाई बिहारी

परियोजना का नाम :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम (आनंदवेड़ी) चौरालीया
तहसील हसनी, जिला (नंगीताल)

उत्तराखण्ड में जनपद १०८७ के अन्तर्गत १०८८ के लागत परियोजना
के निर्माण हेतु ५३ हेतु आरक्षित वन भूमि, १०८८ हेतु सिविल सोयम भूमि है।
वन पंचायत भूमि १०८८ हेतु अर्थात कुल १०८८ हेतु वन भूमि का ३०२२०८८ एकड़ी
विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत १०८८ द्वारा दिनांक ३०.६.१६ को
सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के
संबंध में अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट
किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का
कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु
आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित
किया गया कि ग्राम ३०२२०८८ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि
प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर
कोई आपत्ति नहीं है।
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हो/- १०८८
पंकज बडेठा
ग्राम समिक्षक सेवा पंचायत
०१-लालन मण्डी,
खिकास खण्ड हसनी

हो/-
S.K. १०८८
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत चौरालीया/१०८८-
०१०८८० हसनी

नोट : - * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो
तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता
एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक ३/१२/४५... को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत आमखेड़ा (दोरगाली)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	करनेंद्र रिद्दे मुकेश कुमार	करनेंद्र १७४ Mukesh Kumar
	इन्द्रजीत रिद्दे अमरजीत रिद्दे	इन्द्रजीत १७५ Amarjeet
	धीराज दया अनन्द हल्दानी	धीराज १७६ Anand Haldani
	लक्ष्मी दया राजेंद्र रिद्दे	लक्ष्मी १७७ Rajendra
	लोकमणी जोरा श्री राम	लोकमणी १७८ Shri Ram
	शेर रिद्दे शंकर दया	शेर १७९ Shankar Daya
	माहिमा रिद्दे दीपा दया	माहिमा १८० Deepa Daya
	उटेंद्र जोरा	उटेंद्र १८१

हो/-

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत चौरालिया(आमखेड़ा)

विंदू हल्दानी (नैनीताल)

परियोजना का नाम :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम झुल्लूवाल कराप
तहसील-झुल्लूनी, ज़िला-काशीगढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र 1-2006 क्र.लाभ.05 परियोजना
उत्तराखण्ड में जनपद काशीगढ़ के अन्तर्गत 1-2006 क्र.लाभ.05 परियोजना
के निर्माण हेतु (472 हेठा आवेदित वन भूमि, —— हेठा सिविल सोयम भूमि, — हेठा,
वन पंचायत भूमि —— हेठा) अर्थात् कुल 472 हेठा वन भूमि का 1-2006 क्र.लाभ.05 वन अधिकार
विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रवरण के विषय में ग्राम पंचायत झुल्लूवाल कराप द्वारा दिनांक 11/11 को
राम्यन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के
संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट
किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का
कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु
आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित
किया गया कि ग्राम झुल्लूवाल कराप के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि
1-2006 क्र.लाभ.05 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर
कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हेठा/
ग्राम सचिव पंकज बडेठा
सदस्य क्षेत्र पंचायत
01-साखन मण्डी।

हेठा/
ग्राम प्रधान,
एवं प्रदायत अवाहन करा।
द्वारा द्वारा, इडाली (मेरीसाल)

नोट :— * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो
तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता
एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 23.12.2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत दलिलाला वार्ड

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	गणेश शर्मा जी महेंद्राली	2014.12.23 V.
2.	गणेश शर्मा जी (पर्वत)	2014.12.23 रामराम
3.	पाठ लिंग जी, चंद्रपति	Rishan Singh 2014.12.23
4.	बिश्वा शर्मा जी लक्ष्मी	2014.12.23
5.	दयाराम जी शर्मा	2014.12.23
6.	राजीव जी, शर्मा	2014.12.23
7.	बिलाल खान जी रघुविह	2014.12.23
8.	बिलाल खान जी अमोदी	2014.12.23

द्वितीय
वार्ड,

80/-
ग्राम पंचायत कामबाल फटा
ग्राम पंचायत, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)

परियोजना का नाम :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम नुमा गोब बंडोल
तहसील टल्लानी, जिला नवीनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र
उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत नैनीताल (कॉलाइ) नदी परियोजना के निर्माण हेतु (360) हेतु आरक्षित वन भूमि, _____ हेतु सिविल सोयम भूमि..... हेतु, वन पंचायत भूमि _____ हेतु अर्थात कुल 469 हेतु वन भूमि का 330 न० एकड़ा निर्गम _____ विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नैनीताल (कॉलाइ) द्वारा दिनांक 23.11.11 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नैनीताल कटान के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उपरान्त निर्गत प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हो/-
ग्राम सचिवक ज्ञ बडेला
सदस्य क्षेत्र पंचायत
01-लालन मण्डी।

विकास खण्ड हस्ताभ्याम्
नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

Hemlata
ग्राम परियोजना परसंवाद
ग्राम प्रबल
वन पंचायत नियंत्रण बोर्ड
पिन्ड टल्लानी (नैनीताल)

दिनांक 23/12/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत नेश्वा गोद कटान

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर उच्चा देवी
1.	श्रीमती पुष्पा देवी ५० वर्षी माधवानन्द	पुष्पा देवी
2.	श्री लंगदीश सिंह ५० वर्षी गणेश सिंह	लंगदीश सिंह
3.	श्री दग्गर सिंह ५० वर्षी लाल सिंह	दग्गर सिंह
4.	श्री लिलोक सिंह ५० वर्षी लाल सिंह	लिलोक सिंह
5.	श्री विरप सिंह ५० वर्षी माहन सिंह	विरप सिंह
6.	श्री चुरेचा नंद ५० वर्षी रमानन्द	चुरेचा नंद

Hemlalg
(हेमलग्न कर्तव्यात्मा)
ब्रह्मान्
हुम्लग्न-संवाद व्यायांगं ब्रह्मान्
ग्रन्थि-प्रधानान्तरी (जैनीतात्म)

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम — खड़ीगांव

तहसील (खड़ीगांव) जिला उत्तराखण्ड

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तराखण्ड के अन्तर्गत खड़ीगांव / खड़ीगांव राम परियोजना के निर्माण हेतु
 (ग्राम) हेतु आवेदित वन भूमि, _____ हेतु सिविल सायम भूमि..... हेतु, वन पंचायत भूमि _____
 हेतु) अर्थात् कुल हेतु वन भूमि का उत्तराखण्ड विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार,
 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावोत्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खड़ीगांव द्वारा दिनांक 11.11.2011 की सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम _____ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड परियोजना एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
 प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हेतु —
 ग्राम सचिव
 मुहर सहित

मेरु देवी
 मंत्री सचिव
 लद्दाख
 जिला पंचायत नियमित्या
 खड़ीगांव राम

लृपत्र-प्रधान
 ग्राम प्रधान/सरपंचालृपत्र
 मुहर सहित

नोट :— यदि किसी आदिवासी अथवा ग्रामवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाये।
 उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

Panjait Khan
 ग्राम पंचायत नियमित्या
 ग्रामवासिता नियम (ग्राम सभा नगर)

प्रारूप--30.4

दिनांक ११, १२, १५ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत (के लोन)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	प्रधान पटेल	प्रधान पटेल
2	प्रधान राजू	प्रधान राजू
3	मोदी (गुरु)	मोदी (गुरु)
4	जगन्नाथ चौहान	जगन्नाथ चौहान
5	लालचंद्रो (लाल)	(Lalchand) Lal
6	देवेश राजू	देवेश राजू
7	मुमताज राजू	मुमताज राजू
8	दीपा राजू	दीपा राजू
9	तेज चौहान	तेज चौहान
10	वाजेड़ी राजू	वाजेड़ी राजू

Parijat Khan
Wife

सुट्टी

३०५ पदार्थ नियन्त्रण

१०८ अस्ति तारणं महाकृष्णिनाम् ॥

भारतीय देव
मनश्चरी देवी
अदरव
पिला पंचायत नक्तिया
डि.कृ.सितारगज (ज.सिंहगढ़)

पार्वती देवी
ग्राम प्रधान
वानिं चित्तारणं दिल्ली

प्रारूप--30.3

परियोजना का नाम :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम बड़ौदा

राजसील (लोकग्राम) जिला दूर्दण्डी झज्जुर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपट उम्भूती के अन्तर्गत हेठली देशी आरक्षित वन मूदि हेठली सिविल स्वयम भूमि हेठली वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राप्ति विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तीत करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के सिवाय में ग्राम पंचायत बड़ौदा द्वारा दिनांक 20/01/2011 साप्तर्णी के सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में पर्यावरण एवं स्वयम भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र नियंत्रित करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राप्ति विभाग/संस्था के वहाँ आवेदित वन मूदि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कङ्का/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपरिक्षित राष्ट्रीय ग्रामवासियों द्वारा प्रष्ट किया गया कि सदूच वन भूमि में किसी नी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कङ्का/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अनियिकता परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन मूदि पर जागरूकियों को पर्यावरण अधिकारी का हन्त नहीं हो रहा है।

यर्दा के उपरान्त यात राया द्वारा संरक्षणात्मक रूप सिर्पि लिया गया /प्रत्यावरण पारित किया गया कि ग्राम बड़ौदा के प्रामुख्यादियों को उक्त वन मूदि हेठली दिनांक 20/01/2011 को परियोजना के निर्माण हेतु दिए जाने पर कोई अपत्ति नहीं है।

प्राप्ति किया जो सत्य पूर्व राही है।

हेठली
ग्राम पंचायत
मुहर सहित

मुद्रित दस्तावेज़
मुद्रित दस्तावेज़

हेठली
ग्राम पंचायत/राजपत्र
मुहर सहित

नोट - यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निली भूमि प्रभावित हो रही है, तो उद्दुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाये।
सदूच प्रपत्र लघु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को लापलड़ कराया जायेगा।

प्राप्ति

प्राप्ति

प्राप्ति

प्रारूप-30.4

दिनांक १२/१२/१५ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	बिलार राम शर्मा	<u>Bilal Ram Sharma</u>
2	नीलाधीर देव शर्मा	-1101401600
3	अमृत बहादुर शर्मा	अमृत
4	गोपनीय राम शर्मा	गोपनीय राम
5	देवल प्रसाद शर्मा	D -
6	रमेश राम शर्मा	Ramesh
7	रमेश राम शर्मा	Ramesh

Parvati Kar

302

३०८ राधाकृष्णन-नायक

१०८ अधिकारी विजयनगर

— अंगूष्ठ वर्ती देवी

四

सदस्य
जिला पर्यायत नक्तिया
विषय वित्तारणात् जि. समरी

60/- B.W.

ग्राम प्रधान

ग्रन्थ एवं लिपि द्वारा लिखा गया है।

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम उक्तीली

तहसील/खट्टीली जिला उत्तराखण्ड

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उक्तीली के अन्तर्गत _____ परियोजना के निर्माण हेतु
(७०) हेठो आसक्षित वन भूमि, _____ हेठो सिविल सोयम भूमि..... हेठो, वन पंचायत भूमि _____
हेठो) अर्थात् कुल हेठो वन भूमि का _____ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत उक्तीली द्वारा दिनांक 15/11/2011 को सम्बन्ध ग्राम
सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र
निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत
आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। *
उपरिथित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किरी भी आदिवासी अथवा गैर
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु
आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि
ग्राम _____ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उक्तीली एजेन्सी
को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हेठो—
ग्राम सचिव
मुहर सहित

मंडपी देवी
ग्राम सचिव
जिला पंचायत निवाली

परमपाल काँवा
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत निवाली
मुक्तीली ग्राम पंचायत में नगर

नोट :— यदि किसी आदिवासी अथवा एजेन्सी की भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका
विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाये।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध
कराया जायेगा।

Benniit Kaur
संदर्भ
प्रिया नाथ दुलार
ग्राम पंचायत निवाली

प्रारूप-30.4

दिनांक 15/11/2011 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत उत्तरीपाली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री देवीलाल	लिलाल
2	श्री वल्लभ भट्ट	वल्लभ भट्ट
3	श्री अमृत बेह	अमृत बेह
4	श्री गोपीलाल	गोपीलाल
5	श्री रमेश	रमेश
6	श्री विजय भट्ट	विजय भट्ट
7	श्री देवेश भट्ट	देवेश भट्ट
8	श्री विजय भट्ट	विजय भट्ट
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		
101		
102		
103		
104		
105		
106		
107		
108		
109		
110		
111		
112		
113		
114		
115		
116		
117		
118		
119		
120		
121		
122		
123		
124		
125		
126		
127		
128		
129		
130		
131		
132		
133		
134		
135		
136		
137		
138		
139		
140		
141		
142		
143		
144		
145		
146		
147		
148		
149		
150		
151		
152		
153		
154		
155		
156		
157		
158		
159		
160		
161		
162		
163		
164		
165		
166		
167		
168		
169		
170		
171		
172		
173		
174		
175		
176		
177		
178		
179		
180		
181		
182		
183		
184		
185		
186		
187		
188		
189		
190		
191		
192		
193		
194		
195		
196		
197		
198		
199		
200		
201		
202		
203		
204		
205		
206		
207		
208		
209		
210		
211		
212		
213		
214		
215		
216		
217		
218		
219		
220		
221		
222		
223		
224		
225		
226		
227		
228		
229		
230		
231		
232		
233		
234		
235		
236		
237		
238		
239		
240		
241		
242		
243		
244		
245		
246		
247		
248		
249		
250		
251		
252		
253		
254		
255		
256		
257		
258		
259		
260		
261		
262		
263		
264		
265		
266		
267		
268		
269		
270		
271		
272		
273		
274		
275		
276		
277		
278		
279		
280		
281		
282		
283		
284		
285		
286		
287		
288		
289		
290		
291		
292		
293		
294		
295		
296		
297		
298		
299		
300		
301		
302		
303		
304		
305		
306		
307		
308		
309		
310		
311		
312		
313		
314		
315		
316		
317		
318		
319		
320		
321		
322		
323		
324		
325		
326		
327		
328		
329		
330		
331		
332		
333		
334		
335		
336		
337		
338		
339		
340		
341		
342		
343		
344		
345		
346		
347		
348		
349		
350		
351		
352		
353		
354		
355		
356		
357		
358		
359		
360		
361		
362		
363		
364		
365		
366		
367		
368		
369		
370		
371		
372		
373		
374		
375		
376		
377		
378		
379		
380		
381		
382		
383		
384		
385		
386		
387		
388		
389		
390		
391		
392		
393		
394		
395		
396		
397		
398		
399		
400		
401		
402		
403		
404		
405		
406		
407		
408		
409		
410		
411		
412		
413		
414		
415		
416		
417		
418		
419		
420		
421		
422		
423		
424		
425		
426		
427		
428		
429		
430		
431		
432		
433		
434		
435		
436		
437		
438		
439		
440		
441		
442		
443		
444		
445		
446		
447		
448		
449		
450		
451		
452		
453		
454		
455		
456		
457		
458		
459		
460		
461		
462		
463		
464		
465		
466		
467		
468		
469		
470		
471		
472		
473		
474		
475		
476		
477		
478		
479		
480		
481		
482		
483		
484		
485		
486		
487		
488		
489		
490		
491		
492		
493		
494		
495		
496		
497		
498		
499		
500		
501		
502		
503		
504		
505		
506		
507		
508		
509		
510		
511		
512		
513		
514		
515		
516		
517		
518		
519		
520		
521		
522		
523		
524		
525		
526		
527		
528		
529		
530		
531		
532		
533		
534		
535		</

प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम :-

कार्यालय उप जिलाधिकारी, तहसील अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील

उपखण्ड 148 KJ ऐक्षेत्र के अन्तर्गत —————— हेठले सिविल एवं सोयम वन भूमि हेठले वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 90.0 हेठले वन भूमि) का प्रयोक्ता रजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील) की दिनांक 19/2/15 को राम्यन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री 20/2/15 उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री 20/2/15 उपजिलाधिकारी —————— अध्यक्ष
- 2- श्री अनुसूचित जनजाति उप प्रभागीय वनाधिकारी —————— सचिव
- 3- श्री अनुसूचित जनजाति सहायक समाज कल्याण अधिकारी —————— सचिव/सदस्य/सचिव
- 4- श्री अनुसूचित जनजाति पर्यावरण बोर्ड सदस्यों के बैठक की अवधारणा में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

परियोजना	हेतु 90.0 हेठले वन	भूमि
	प्रयोक्ता	

एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से शारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, 20/2/15 द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड 20/2/15 परिषेत्र के अन्तर्गत परियोजना के निर्माण हेतु 90.0 हेठले वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—
जनपद—

प्रतिलिपि - जिलाधिकारी, 20/2/15 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील
जनपद

वहां पर्यावरण काल्पनिक विभाग
किया गया है।

(2) *Amrit Ban*
सदस्य
दोष पंचायत नगरिलाला
दिल्ली सिटी एवं राजा (अमित लाला)

नन्धौर क्षतिपूरक वनीकरण के अन्तर्गत विगत दस वर्षों में वर्ष 2010-11 से
2015-16 तक रोपण का विवरण, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

वर्ष	रेज का नाम	स्थल का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टर)	किस्म रोपण	Latitude	Longitude
2010-11	बाराकोली	बाराकोली "अ" प्लाट 88 भाग	07.00	अयान्त्रिक(बास)	N28 55' 02.09"	E79 41'37.70"
	"	बाराकोली "अ" प्लाट 55,56,57 भाग	15.00	"	N28 56' 52.08"	E79 40'44.52"
	"	बाराकोली "अ" N-3(I)	20.00	"	N28 55' 25.68"	E79 41'17.94"
	"	बाराकोली "अ" प्लाट प्लाट-48	15.00	"	N28 59' 28.05"	E79 38'40.74"
	"	बाराकोली "अ" प्लाट प्लाट-86,87 भाग	15.00	"	N28 55' 07.26"	E79 40'41.40"
	"	बाराकोली "अ" प्लाट 85	10.00	"	N28 55' 38.02"	E79 41'17.88"
	"	बाराकोली "अ" प्लाट 58 भाग-1	15.00	"	N28 57' 03.74"	E79 40'51.30"
		योग	97.00			
2011-12	बाराकोली	बाराकोली "अ" प्लाट N-3	20.00	अयान्त्रिक(बास)	N28 55' 11.08"	E79 40' 95.40"
	दक्षिणी जौलासाल	प० जौलासाल कक्ष सं0-3	10.00	"	N29 03' 08.88"	E79 52' 16.30"
	"	बैड़ा कक्ष सं0 1 (ब)	10.00	"	N29 02' 19.40"	E79 52' 00.40"
	"	पूर्वी जौलासाल कक्ष सं0-5 (ब)	20.00	अयान्त्रिक(मिश्रित)	N29 02' 58.30"	E79 51' 29.17"
	"	सुदलीमठ 11 (ब)	20.00	"	N29 01' 46.10"	E79 54' 40.09"
	"	सुदलीमठ 11 पार्ट-1	10.00	"	N29 01' 55.10"	E79 54' 59.00"
	"	पश्चिमी जौलासाल कक्ष-7	10.00	"	N29 02' 05.47"	E79 48' 09.70"
	"	सुदलीमठ कक्ष-11 भाग-2	10.00	"	N29 01' 55.80"	E79 55' 11.20"
	"	पूर्वी जौलासाल कक्ष 5 ब	10.00	"	N29 02'50.30"	E79 48' 29.17"
	रनसाली	कलेगा-1	15.00	यान्त्रिक बीज बु0	N29 03' 35.10"	E79 44' 25.40"
	"	नन्धौर पश्चिमी तट-2 घूसापुर	10.00	"	N29 04' 45.70"	E79 41' 39.50"
	"	कैलाश 1 पूर्वी तट भाग-1	10.00	"	N29 04' 27.30"	E79 41' 43.80"
	"	कैलाश 1 पूर्वी तट भाग-2	10.00	"	N29 04' 15.90"	E79 41' 43.60"
	"	कैलाश-1 पूर्वी तट भाग-1	45.00	अयान्त्रिक(मिश्रित)	N29 03' 16.50"	E79 41' 29.30"
	"	नन्धौर पश्चिमी तट दुबेल बैड़ा 2	10.00	"	N29 06' 41.00"	E79 42' 30.50
	किशनपुर	रेखाल प्लाट 27 अ	25.00	अयान्त्रिक(मिश्रित)	N29 03' 39.01"	E79 41' 19.80"
	"	रेखाल प्लाट 27 अ	5.00	"	N29 04' 30.01"	E79 41' 34.60"
	"	रेखाल प्लाट 27 ब	10.00	"	N29 03' 24.01"	E79 41' 29.00"
		योग	260.00			

2014-15	आमपोखरा	शिवनाथपुर-3व4	10.00	अयांत्रिक मिश्रित	N29 21' 23.00"	E78 59' 18.50"
	आमपोखरा	शिवनाथपुर-09	10.00	—“—	N29 21' 48.04"	E79 00' 16.10"
	आमपोखरा	शिवनाथपुर-21	10.00	—“—	N29 21' 58.30"	E79 00' 13.30"
	बैलपड़ाव	गैबुआ-42 भाग	9.00	—“—	N29 18' 05.20"	E79 10' 10.00"
	बैलपड़ाव	गैबुआ-09	15.00	—“—	N29 17' 09.02"	E79 08' 27.80"
	रामनगर	आमपानी-11	10.00	—“—	N29 17' 26.80"	E79 04' 25.50"
	रामनगर	आमपानी-एन 1	20.00	अयांत्रिक मिश्रित	N29 17' 21.90"	E79 05' 12.10"
	रामनगर	ज्वालावन-4	20.00	यांत्रिक बीज बु0 /अयांत्रिक मिश्रित	N29 16' 33.70"	E79 07' 48.90"
	रामनगर	ज्वालावन-4 भाग	20.00	—“—	N29 16' 33.40"	E79 07' 25.60"
	उत्तरी जसपुर	जसपुर-40	15.00	अयांत्रिक मिश्रित	N29 15' 18.70"	E79 05' 24.80"
	उत्तरी जसपुर	जसपुर-51(1)	18.00	—“—	N29 22' 58.90"	E78 53' 47.40"
	उत्तरी जसपुर	जसपुर-51(2)	12.00	—“—	N29 23' 13.10"	E78 54' 06.90"
	दक्षिणी जसपुर	जसपुर-22	15.00	—“—	N29 22' 58.70"	E78 53' 45.60"
	—“—	जसपुर-30अ	10.00	—“—	N29 21' 47.20"	E78 53' 17.60"
	—“—	जसपुर-30ब	10.00	—“—	N29 16' 27.30"	E78 53' 16.00"
	—“—	जसपुर-29(3)	20.00	—“—	N29 16' 17.70"	E78 53' 27.60"
	रामनगर	गुलजारपुर-9ब	10.00	—“—	N29 17' 16.30"	E78 53' 16.30"
		योग	234.00			
2015-16	किशनपुर	तूनीखाल प्लाट सं0 7	12.00	यांत्रिक यूके0 क्लोनल	N29 02' 35.74"	E79 37' 21.11"
		तूनीखाल अ प्लाट सं0 20	12.50	यांत्रिक बीज बुवाई	N29 03' 47.41"	E79 37' 07.09"
		तूनीखाल प्लाट सं0 16 अ	26.50	यांत्रिक बीज बुवाई	N29 03' 32.83"	E79 36' 51.25"
	रनसाली	रनसाली कक्ष-1 प्लौट 9	20.00	यांत्रिक यूके0 क्लोनल	N29 01' 56.00"	E79 42' 42.80"
	बाराकोली	बाराकोली अ प्लाट सं0 30	29.40	अयांत्रिक(मिश्रित)	N28 56' 45.30"	E79 37' 30.20"
		बाराकोली अ प्लाट सं0 31	24.70	—“—	N28 56' 40.10"	E79 37' 56.40"
		बाराकोली अ प्लाट सं0 32	29.40	—“—	N28 56' 54.90"	E79 38' 08.10"
		बाराकोली अ प्लाट सं0 36	29.40	—“—	N28 56' 55.70"	E79 37' 37.10"
		बाराकोली अ प्लाट सं0 37	25.66	—“—	N28 57' 17.60"	E79 37' 53.80"
		योग	209.56			
		कुलयोग	800.56			

बन क्षेत्राधिकारी
रनसाली बन क्षेत्र
८० प्र० बन प्रभाग हल्ड्याली

C/S
W/J
M/S
R/S
B/S
D/S

३-५-२०१६-१७

नन्धोर खनन प्रभाग में वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2015-16 तक वसूल राजस्व का मदवार विवरण (रुपयों में)

क्रम सं	राजस्व वसूली का विवरण	विभाग का नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	राजस्व											
1.1	रायती	राजस्व	11318199.00	26996943.00	60076087.00	47589656.00	56941786.00	83996280.10	199048332.19	146688767.83	122851011.76	52302839.34
1.2	स्ट्राप शुल्क		905481.00	2159772.00	4806984.00	3807124.00	4715537.00	6719703.38	15223876.89	117351C.75	9067980.35	1204780.79
	योग-(1)		12223680.00	29156715.00	64882171.00	51396180.00	63657123.00	90715983.48	214972209.08	158423869.58	131918992.11	53507620.13
2	वन निगम											
2.1	लापाश	वन विकास निगम	1221552.00	2914217.00	6487735.00	5139862.00	6366161.00	9071605.83	21497233.97	15842386.63	13170041.73	5279047.68
2.2	अपश्चात्याना व्यय		7923654.00	17933884.00	33425283.51	33122279.75	41023451.51	54095618.19	15882494.67	140313191.12	114814078.98	289111438.53
2.3	स्थानक एवं श्रमिक कल्याण		229903.00	520419.00	1188383.00	952025.00	1179314.00	3364960.83	7961946.27	5867550.95	2022844.40	0.00
2.4	श्रमिकाटा / तोला व्यय		1342500.00	2011240.00	4061600.00	3298200.00	4872435.00	569557.00	8847725.00	6390500.00	4706975.00	1158800.00
	योग-(2)		10717589.00	2337970.00	45163001.51	42512366.75	53441361.51	72227759.85	197190399.91	168413628.70	134713940.11	35349286.21
3	वन विभाग											
3.1	इतिहासिक रोपण	वन विभाग	0.00	0.00	9974678.00	10271212.00	14246603.00	16924203.77	28845974.00	23251606.00	17863110.00	4875075.41
3.2	रिसर्व ट्रैफिका		0.00	0.00	12321635.00	11992645.00	14853769.00	21467321.77	49762506.00	3667...94.00	18362950.00	2913154.75
3.3	आपृष्ठि		0.00	0.00	6063172.65	5901438.10	7309227.00	7956852.39	12341618.00	9095182.00	3135706.00	0.00
3.4	प्रेनाटटी		0.00	0.00	1846416.00	4638908.00	161019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग-(3)		0.00	0.00	30205901.55	32854403.10	38019618.00	46348977.93	91050908.00	6905E732.00	39361656.00	7788230.16
	महायोग-		22941266.00	52536475.00	140251074.16	126772949.85	155118102.51	209292721.26	503212706.99	395896280.28	305984598.22	96645136.50
11	योग-(1+2+3) @ 9 %	वाणिज्य कर	865414.00	2020955.00	4235388.00	0.00	0.00	0.00	20180475.18	27540475.18	8656291.48	
12	सकल योग		23806683.00	54557460.00	144486462.16	126772949.85	155118102.51	209292721.26	503212706.99	416076752.53	333535073.40	105343427.98
13	आपकर दर 2.5 प्रतिशत	आपकर	634345.00	1488453.00	3536608.00	2969420.55	3716094.17	5090148.17	12359223.52	10351584.54	8342733.45	2634038.36
	तिविवाह आय		0.00	0.00	197340.73	156636.60	157527.69	181880.57	152289.08	177916.81	90712.60	23140.66
			24441028.00	56045913.00	148220410.89	129899007.00	158591724.37	214564760.00	515724199.59	426606253.88	341983578.45	108000607.00

प्रभागीय लोगिंग प्रबंधक (नदीय खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम , हरिहरनी